



‘डायरेक्ट पोर्ट एंट्री’ सुवधि

प्रलिमिस के लिये

‘डायरेक्ट पोर्ट एंट्री’ सुवधि

मेन्स के लिये

‘डायरेक्ट पोर्ट एंट्री’ सुवधि तथा इसके लाभ

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडवगिया ने तमलिनाडु के तूतीकोरनि में वी. ओ. चिदंबरनार (VO Chidambaranar- VOC) बंदरगाह पर रसद लागत को कम करने में मदद के लिये एक ‘डायरेक्ट पोर्ट एंट्री’ सुवधि (Direct Port Entry Facility-DPE) का उद्घाटन किया।

प्रमुख बांधिः:

- इस सुवधि को 30 वर्ष तक संचालित करने के लिये केंद्रीय भंडारण नियम के साथ समझौता किया गया है।
- ध्यातव्य है कि इससे पूरव कारखानों से सीलबंद कंटेनरों को पहले तूतीकोरनि में संचालित होने वाले कंटेनर फरेट स्टेशनों (CFS)/इनलैंड कंटेनर डपी (ICD) में से एक में ले जाया जाता था और यह सुवधि एक कार्यदिविस में सुबह 10 से रात 8 बजे तक ही उपलब्ध थी। इसकी वजह से कंटेनरों को कंटेनर टर्मिनलों के अंदर ले जाने में काफी देरी होती थी।

‘डायरेक्ट पोर्ट एंट्री’ के तहत प्राप्त होने वाली सुवधाएँ:

- अत्यधिक डायरेक्ट पोर्ट एंट्री सुवधि के माध्यम से नियातक अपने कंटेनरों को CFS के द्वारा कारखानों से सीधे बंदरगाहों के कंटेनर टर्मिनल पर चौबीस घंटे भेजने की सुवधि पा सकेंगे।
- यह सुवधि ट्रक पार्किंग टर्मिनल के अंदर 18,357 वर्गमीटर के क्षेत्र में बनाई गई है, जिसे कारखानों से सील होकर आए नियातित वस्तुओं से भरे कंटेनरों को सीमा शुल्क नियमों सुवधि प्रदान करने हेतु 'सागरमाला' योजना के तहत विकसित किया गया है।
- यह प्रतिमाह 18,000 टीईयू को वहन करने की क्षमता रखती है।
- डीपीई सुवधि के तहत केंद्रीय भंडारण नियम के माध्यम से भारतीय सीमा शुल्क वभाग एक ही छत के नीचे नियातकों को एलईओ (Let Export Order- LEO) भी उपलब्ध कराएगा।
- केंद्रीय भंडारण नियम और सीमा शुल्क अधिकारियों की एक टीम वीओसी पोर्ट के सहयोग से टयिर-2 और टयिर-3 (ईईओ) प्रमाणित आयात-नियात ग्राहकों को सेवा प्रदान करेगी।
- सीमा शुल्क वभाग ने भी बंदरगाह में डीपीई सुवधि के संचालन को मंजूरी दी है।

लाभः

- यह लॉजिस्टिक्स की लागत को कम करने और बंदरगाहों से नियात खेप को भेजने की प्रक्रिया को गतिशीलता में एक उल्लेखनीय कदम है।
- डीपीई, नियातकों के लिये कारोबारी सुगमता को बढ़ाने में मदद करेगा, इससे नियातकों के काम में दक्षता आएगी, सामान भेजने पर खर्च कम होगा, साथ ही वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्द्धी हो सकेंगे।
- बंदरगाहों पर आईटी सक्षम बुनियादी ढाँचा नियन्त्रित रूप से हमारे बंदरगाहों को पोत परविहन मंत्रालय के 'मेरीटाइम वज़िन 2030' के अनुरूप वशिव स्तर के बंदरगाहों में परवित्ति कर देगा।
- इस सुवधि के माध्यम से 'ईज़ ऑफ ड्रूइंग बज़िनेस' में भारत की स्थिति बेहतर होगी तथा भारत व्यवसायी संस्कृतिको आगे बढ़ाने में अपनी सशक्त भूमिका दर्ज कराएगा।
- इस सुवधि के माध्यम से भारत की समुद्री अर्थव्यवस्था में वसितार होगा तथा इसके माध्यम से यह अपने क्षेत्रीय हतिं को भी साध सकेगा।

‘डायरेक्ट पोर्ट एंट्री’ सुवधा: (Direct Port Entry Facility)

डीपीई एक ऐसी योजना है, जो नरियात के संबंध में समय और लागत को कम करती है, जिसके तहत नरियात कंटेनरों को ‘लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर’ (LEO) देने से पहले ही पोर्ट एक्सपोर्ट में सीधे प्रवेश की अनुमति दी जाती है। यह भारत से बाहर वस्तुओं के नरियात के लिये आवश्यक अनुपालन सूची का अंतमि चरण है।

स्रोत- द हद्दि

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/direct-port-entry-facility>